subject to a maximum of Rs. 10,000 per beneficiary. This decision has been communicated to the State Governments.

मुरैना और छिंदवाड़ा संयंत्रों का विस्तार

2463. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य तिलहन संघ के मुरैना और छिंदवाड़ा संयंत्रों के विस्तार हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव कितनी लागत के हैं और इन्हें कब भेजा गया था; और

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास निगम ने इन प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि. (एम.पी. आयलफेड) के द्वारा स्थापित मुरैना और छिंदवाड़ा संयंत्रों के विस्तार हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्ताव भेजे हैं। 28.25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का छिंदवाड़ा विस्तार प्रस्ताव तथा 30.58 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का मुरैना विस्तार प्रस्ताव एन.सी.डी.सी. को फरवरी 1993 में प्राप्त हुआ था। छिंदवाड़ा परियोजना के संबंध में एन.सी.डी.सी. ने यह निर्णय लिया कि यूनिट द्वारा अपने प्रचालनों को स्थिरता प्रदान करने तक तथा एम.पी. ऑयलफेड द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने तक मूल्यांकन के कार्य को आस्थगित कर दिया जाए। जून 1993 में एम.पी. ऑयलफेड और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने छिंदवाडा संयंत्र की परियोजना लागत में कटौती करने का निर्णय लिया। तदनुसार सोसाइटी द्वारा दिसम्बर 1993 में एन.सी.डी.सी. को 9.54 करोड़ रुपये की संशोधित लागत के साथ एक संशोधित परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा अभी तक सिफारिश नहीं की गई है।

मुरैना परियोजना के संबंध में एन.सी.डी.सी. ने एक मूल्यांकन दल गठित किया है। प्रस्ताव पर मूल्यांकन दल के निष्कर्षों तथा मामले के आर्थिक प्रौद्योगिकीय गुणावगुणों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

फसल बीमा योजना की यूनिट

2464. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की फसल बीमा योजना केवल तहसील स्तर को यूनिट मान कर कुछ फसलों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो बहुत से कृषक इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार ग्राम को यूनिट के रूप में मानने और सभी फसलों को इस योजना में शामिल करने पर विचार करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) वर्तमान में वृहद फसल बीमा योजना (सी.सी.आई.एस.) के अंतर्गत धान, गेहूं, बाजरा, तिलहन तथा दलहन शामिल हैं। कोई भी ऐसा जिला, तहसील, तालुक, ब्लॉक या कोई दूसरा छोटा व निकटस्थ क्षेत्र, यूनिट क्षेत्र हो सकता है जो राज्य सरकारों के द्वारा चयनित तथा अधिसूचित किया गया हो।

(ख) यदि अधिसूचित क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम उपज की तुलना में फसल की वास्तविक उपज में गिरावट आती है तो अधिसूचित यूनिट क्षेत्र के सभी बीमाकृत किसान वृहद फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दावे पाते हैं।

(ग) राज्य सरकारें वृहद फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भी लघु क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते उनके पास पिछले पांच वर्षों के उपज संबंधी आंकड़े हों तथा प्रत्येक मौसम के अंत में उस अधिसूचित क्षेत्र में 16 फसल कटाई संबंधी प्रयोग संचालित करने की क्षमता भी हो। वर्तमान में विद्यमान वृहद फसल बीमा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त फसलों को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Decline in the availability of Cattle per 100 Hectare

2465. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as per the figures of the National Commission on Agriculture the area under cultivation has gone up from 973

lakh hectares in 1951 to 1267 lakh hectares in 1981 whereas the total availability of cattle per 100 hectares has come down from 160 l to 143 during the above period.

(b) whether it is also a fact that this decline in cattle wealth has forced the country to import dung and also to use less organic manure and more chemical fertilizers leading to increase in import bills as well as toxity in the products grown with Chemical Fertilisers;

(c) if so, whether Government propose to take steps to increase the number of cattle in the country and discourage their slaughter in view of their importance in the agricultural economy of the country; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) National Commission on Agriculture has estimated the demand and supply projections in two perspectives of 1985 and 2000 A.D. However, the net sown area has gone up from 118.75 million hectares in 1950-51 to 140 million ha. in 1980-81. The number of bovine (including cattle and buffaloes) per 100 hectares has also gone up from 167 to 187.

(b) Since there is no decline in the cattle wealth, the question of importing dung does not arise. However, chemical fertilisers are being used in conjunction with organic manure to augment soil fertility and since there is a gap between the production and demand of chemical fertilisers in the country, Government has to import chemical fetilizers from other countries.

(c) and (d) In accordance with the general policy, NCA has recommended improvement in the productivity of cattle with progressive reduction in their number. A number of steps have already been initiated by the Government to improve their productivity. Most of the States in the country excepting Kerala, West Bengal and some North Eastern States discourage slaughter of cattle by imposing a ban. Where the ban does not exist, slaughter of only unproductive cattle is permitted.

अंगूर के बागों में अंगूर की फसलों का नष्ट हो जाना

2466. **श्री रामजी लाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत में अंगूर की फसल के उचित विपणन, भंडारण और वैज्ञानिक रख-रखाव सुविधाओं की कमी के कारण अंगूर की फसल अचानक पक जाने पर अंगूर के बागों में ही नष्ट हो जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अंगूर की खेती में लगे किसानों को इस कारण से हुई हानि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस फसल को बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाने के लिए प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू हो जाएगी;

(ङ) क्या सरकार अंगूर की खेती में लगे किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है ताकि उनकी फसल खेत में ही नष्ट न हो; और

(च) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से हिसार जिले में किसानों को मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) विपणन, भंडारण तथा रख-रखाव की वैज्ञानिक सुविधाओं के कारण उत्तर भारत में किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है। तथापि, उत्तर भारत में कम अवधि में ही अंगूर पक जाते हैं तथा इसके बाद शीघ्र ही वर्षा हो जाती है जो कभी-कभी फसल को नुकसान पहुंचाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हानि की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पंजाब में हुई हानि निम्न प्रकार है:-

1991-92	1992-93	1993-94
240 लाख रुपए	300 लाख रुपए	शून्य

(ग) अंगूर की फसल की बीमा योजना के अंतर्गत लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने उष्णाकटिबंधी, शुष्क तथा शीतोष्ण क्षेत्र के फलों के समेकित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान फलों के 16000 उत्पादकों को प्रशिक्षित करने के लिए 160 लाख रुपए की राशि का आबंटन किया है जिसमें अंगूर की फसल उगाने वाले किसान भी शामिल हैं। इसके